

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.12(02)नविवि/चित्तौड़गढ़/2025

जयपुर, दिनांक :

-:अधिसूचना :-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ की सीमा में अभिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 246,247,264,265,283,284 व 399 एवं बोदियाना के खसरा संख्या 275 व 277 कुल रकबा 40.84 हैक्टेयर में स्थित भूमि की आवासीय योजना बनाया जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना की सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

- उत्तर :- राजस्व ग्राम पाण्डोली के खसरा संख्या 1324, 1325, 1326, 1327, 1330, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1386, 3363/1386 एवं 3364/1388 तथा राजस्व ग्राम बोदियाना के 105, 273 को बाहर छोड़ते ह्ये।
- पूर्व :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 401, 402, 962/400, 963/400, 410, 411, 412 राजस्व ग्राम बोदियाना के खसरा संख्या 281, 282, 301, 274, 630/274 को बाहर छोड़ते ह्ये।
- पश्चिम :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 847/5, 5 को बाहर छोड़ते ह्ये।
- दक्षिण :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 941/24, 942/24, 829/25, 768/25, 25, 771/26, 26, 27, 244, 935/245, 936/245, 938/245, 925/245, 926/245, 927/245, 249, 248, 778/250, 250, 252, 263, 266, 267, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 278, 281, 286, 285, 354, 751/354, 390, 391, 834/392, 392, 393 से 398, 428 को बाहर छोड़ते ह्ये।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 40.84 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. सहायक निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

RajKaj Ref No.:
19240487

eSign DSC